न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- श्री रणजीत कुमार आरएएस

मुकदमा संख्या :- 252/2022

अनवान मुकदमा –

1. धर्मपाल पुत्र पृथ्वीराज जाति बिश्नोई साकिन लिखमीसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

-- वादी

बनाम

1. पृथ्वीराज पुत्र रामरतन जाति बिश्नोई साकिन लिखमीसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. सुमनलता पुत्री पृथ्वीराज जाति बिश्नोई साकिन लिखमीसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. शारदा पुत्री पृथ्वीराज जाति बिश्नोई साकिन लिखमीसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

– – प्रतिवादीगण

–: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि. बाबत घोषणा :–

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री हीरालाल बिरथलिया अधिवक्ता --- वादी
2. श्री जितेन्द्र मण्डा अधिवक्ता --- प्रतिवादी सं. 1 ता 3

–:: निर्णय :–

दिनांक – 17/06/2022

वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्व यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण का स्थाई पता वाद पत्र के शीर्षक के व्यवहार सहिंता के आदेश 6 नियम 14 ए के अनुसार सही अंकित किया गया है। वाद पत्र दो प्रतियो मय शपथ पत्र मे समर्पित प्रस्तुत किया जा रहा है।

वादी हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य है जो मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ से शासित होते है तथा परस्पर सहदायिक एवं सहअंशदायी है। उक्त हिन्दु संयुक्त परिवार के कर्ता वादी के दादा श्री रमरतन थे। सजरा खानदान पेश किया गया है।

प्रतिवादी सं. 1 के नाम से एकल स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक नं. 10 एलजीडब्लयू के खाता सं. 62 के प.नं. 20/291 के किला नं. 4 ता 7, 14 ता 17, 23 ता 25 कुल 2.488 हैक. नहरी म.गै.मु. मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रमाणित जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र किया गया है।

प्रतिवादी सं. 1 के नाम से एकल स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक नं. 8 एलजीडब्लयू–बी के खाता सं. 92 के प.नं. 15/284 के किला नं. 14/2, 15, 16 की कुल [illegible] नकल जमाबन्दी सम्वत् 2076–79 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रमाणित प्रति ज[illegible]न्दी [illegible]ग्न वाद पत्र किया गया है।

वाद पत्र की दफा 3–4 मे प्रतिवादी स[illegible] नाम वर्णित कृषि भूमि पूर्व मे वादीगण के दादा श्री रामरतन [illegible] रिकॉर्ड थी जिनके देहा[illegible] पश्चात उक्त कृषि भूमि उनके वारिसों को ओद हु[illegible] इस प्रकार प्रतिवादी सं[illegible] नाम वर्णित कृषि भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमे वादी का जन्म से हक व हिस्सा निहित हो चुका है अर्सा दराज पूर्व वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य पारिवारिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.24 16:10:18 IST
Reason: SelfAttested

17.06.2022
सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

सदस्यों ने प्रश्नगत कृषि भूमि का अच्छी मंदी व काश्त की सहुलियत के हिसाब से घरा घरू बंटवारा करवा दिया और घरू बंटवारा के समय प्रतिवादी सं. 2–3 ने अपना समस्त हक व हिस्सा वादी के हक मे त्याग कर दिया तत्पश्चात वादी को वाद पत्र की दफा 3–4 मे प्रतिवादी सं. 1 के नाम वर्णित कृषि भूमि मे से 1/3 हिस्सा कृषि भूमि प्राप्त हुई तथा शेष कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 को प्राप्त हुई।

वादी का कब्जा वाद पत्र की दफा 3–4 मे प्रतिवादी सं. 1 के नाम वर्णित कृषि भूमि मे से 1/3 हिस्सा पर कब्जा घरू बंटवारा के समय ही बिना किसी वाद विवाद के चला आ रहा है तथा वर्तमान मे भी वादी ने फसल काश्त की हुई है लेकिन वर्तमान राजस्व राजस्व अभिलेख मे वादग्रस्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम से दर्ज होने से वादी की हकूक खातेदारी पर विपरित असर पड़ता है। इसलिए वादी वाद पत्र की दफा 3–4 मे प्रतिवादी सं. 1 के नाम वर्णित कृषि भूमि मे से 1/3 हिस्सा कृषि भूमि की घोषणा करवाने का अधिकारी हैं।

वादी ने प्रतिवादीगण से कई दफा कहा कि वे वादी का मुताबिक घरू बंटवारा एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि की घोषणा करवा देवे तो प्रतिवादीगण कुछ दिन तो टालमटोल करते रहे, परन्तु आज से 5 दिवस पूर्व प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया है, बस यही वाद हेतूक है।

वाद पत्र उचित कोर्ट फीस पर तथा न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है।

अतः वाद वादी पेश कर निवेदन किया गया है कि वाद वादीगण निम्नानुसार स्वीकार किया जाकर डिक्री फरमाया जावे :–

घोषित किया जावे कि प्रतिवादी सं. 1 के नाम वर्णित कृषि भूमि वाके चक नं. 10 एलजीडब्लयू के खाता सं. 62 के प.नं. 20/291 के किला नं. 4 ता 7, 14 ता 17, 23 ता 25 कुल 2.488 हैक. मे से 1/3 हिस्सा व चक नं. 8 एलजीडब्लयू–बी के खाता सं. 92 के प.नं. 15/284 के किला नं. 14/2, 15, 16 की कुल 0.658 हैक. मे से 1/3 हिस्सा का वादी खातेदार काश्तकार है।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 3 मय अधिवक्तागण न्यायालय में हाजिर आये। उभयपक्ष के वकीलों द्वारा पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित तहरीरशुदा राजीनामा अदालत हाजा के समक्ष पेश किया और प्रार्थना की गई कि दोनो पक्षों में राजीनामा हो चुका है। राजीनामा तस्दीक फरमाया जाकर वाद को डिक्री फरमाया जावे। प्रस्तुत राजीनामा पर उभयपक्ष की पहचान जरिये अधिवक्ता व जरिये दस्तावेज की गई। पहचान सिद्व होने पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवन्यु) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवं आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौते के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.24 16:10:18 IST
Reason: Self Attested

एआईआर 1976 एससी 807 अनुसार यदि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो, हिस्सा को हिस्सा कम ज्यादा हो तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारिवारिक समझौता को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

17.06.2022

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

–:: आदेश ::–

विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। वादी एवं प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात का अवोकन किया गया। अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वाद में वर्णित कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 3 की पैतृक खातेदारी भूमि है जो जद्दी जायदाद होने के कारण उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से वाद वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद में वर्णित भूमि तहसील पीलीबंगा के चक नं. 10 एलजीडब्लयू के खाता सं. 62 के प.नं. 20/291 के किला नं. 4 ता 7, 14 ता 17, 23 ता 25 कुल 2.488 हैक. मे से 1/3 हिस्सा व चक नं. 8 एलजीडब्लयू–बी के खाता सं. 92 के प.नं. 15/284 के किला नं. 14/2, 15, 16 की कुल 0.658 हैक. मे से 1/3 हिस्सा का वादी खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किया जावे। आदेशानुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

17.06.2022

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.24 16:10:18 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- श्री रणजीत कुमार आरएएस

मुकदमा संख्या :- 252/2022

अनवान मुकदमा -

1. धर्मपाल पुत्र पृथ्वीराज जाति बिश्नोई साकिन लिखमीसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

-- वादी

बनाम

1. पृथ्वीराज पुत्र रामरतन जाति बिश्नोई साकिन लिखमीसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. सुमनलता पुत्री पृथ्वीराज जाति बिश्नोई साकिन लिखमीसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. शारदा पुत्री पृथ्वीराज जाति बिश्नोई साकिन लिखमीसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

- - प्रतिवादीगण

-: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि. बाबत घोषणा :-

-:: निर्णय ::-

दिनांक :- 17/06/2022

वादी की ओर से श्री हीरालाल बिरथलिया, एडवोकेट एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की ओर से श्री जितेन्द्र मण्डा, अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक को रणजीत कुमार आरएएस उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम -1955 की धारा 88 के अन्तर्गत वाद में वर्णित कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक नं. 10 एलजीडब्लयू के खाता सं. 62 के प.नं. 20/291 के किला नं. 4 ता 7, 14 ता 17, 23 ता 25 कुल 2.488 हैक. मे से 1/3 हिस्सा व चक नं. 8 एलजीडब्लयू-बी के खाता सं. 92 के प.नं. 15/284 के किला नं. 14/2, 15, 16 की कुल 0.658 हैक. मे से 1/3 हिस्सा का वादी खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि पर किसी अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

यह आदेश आज दिनांक 17/06/22 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.24 16:10:18 IST
Reason: SelfAttested

17.06.2022

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा